राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/मेट/2011 जयपुर, दिनांक 30/9/2011.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत मेटों के पैनल बनाने के संबंध में।

प्रसंग :– इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4(16)ग्रावि/ग्रारो/नरेगा/06 दि. 15.06.09 एवं 18.08.09 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत मेटों के नियोजन एवं प्रशिक्षण संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये थे। इसी प्रकार विभाग द्वारा जारी तकनीकी मार्ग दर्शिका 2010 के बिन्दु संख्या 16.2 में मेट के चयन के संबन्ध में तथा 16.5 में मेटों को प्रशिक्षण के संबन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। इन निर्देशों में मेट के चयन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों के लिये मेट का पैनल बनाने के लिये स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाकर आवेदन मांगे जाने एवं विज्ञापन की प्रति प्रत्येक ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। मेट पैनल के लिये प्राप्त आवेदन में से वरीयता के आधार पर ग्राम पंचायतवार पैनल बनाने हेतु भी लिखा गया था।

मेटों के ब्लैक लिस्ट होने, अन्य स्थान पर कार्यरत हो जाने तथा ऐसे ही अन्य कारणो से परिवर्तन आ गया है एवं यह पैनल अपर्याप्त हो गया है। अतः इस संबंध में निम्नानुसार पुनः निर्देश जारी किये जाते है :–

- योजनान्तर्गत जारी तकनीकी मार्ग दर्शिका 2010 के बिन्दु संख्या 16.2 के अनुसार कार्यवाही करते हुए ग्रामवार मेट का पैनल बनाया जावे।
- इस प्रकार बनाये जाने वाले मेट के पैनल में सम्मिलित मेटों का जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नियोजित किये गये प्रशिक्षकों द्वारा नरेगा के विषय में विभाग द्वारा सामान्य बोलचाल की भाषा में जारी सरल मेट मार्गदर्शिका के अनुसार प्रशिक्षण दिया जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 2008 के बिन्दु संख्या 6.4.4(ii) में वर्णित प्रशिक्षण के समस्त बिन्दु प्रशिक्षण में सम्मिलित हों।
- प्रशिक्षण में मेटों को नरेगा कार्यस्थल पर ले जाकर भौतिक रूप से कार्य की माप, लीड, लिफ्ट एवं मिट्टी के प्रकार आदि का भी प्रशिक्षण दिया जावे।

2

- कार्य का समूहवार आवंटन, कार्य समाप्ति के उपरान्त माप किये जाने का तरीका, माप को मस्टररोल के पृष्ठ भाग में एन्ट्री किये जाने का तरीका, श्रमिक समूह दैनिक मजदूरी कार्ड की जानकारी एवं उसे भरे जाने का तरीका, कार्यस्थल पर श्रमिक पखवाडा प्रारम्भ होने के प्रथम दिन मेट द्वारा की जाने वाली घोषणा के संबन्ध में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जावे।
- प्रशिक्षण में व्यक्तिगत लाभ के कार्य "अपना खेत अपना काम" के संबन्ध में जारी दिशा निर्देश 2011 की जानकारी भी उपलब्ध करायी जावे।
- सरल मेट माप पुस्तिका, केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 2008 के बिन्दु संख्या 6.4.4 में वर्णित मेट के कर्तव्य एवं दायित्वों के संबन्ध में अवगत कराया जावे।
- कम मजदूरी आने पर विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 20.07.2010, 31.08.2010 एवं 15.11.2010 से अवगत कराया जावे।
- योजनान्तर्गत श्रमिकों के हक के संबन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी जावे।
- प्रशिक्षण के उपरान्त इन मेटो का टैस्ट भी लिया जावे एवं टैस्ट में उत्तीर्ण होने वाले मेटो को ही मेट के पैनल में शामिल किया जावे।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही कर विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय

29/9/11

(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय) एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

परि.निदे.एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस